

प्रेषक,

के०के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

10-1
u

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 01 दिसम्बर 2011

विषय: वित्तीय वर्ष 2011-12 में दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-175/सी०आ०ए०-दैवी आपदा/2011, दिनांक 23.11.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद में दैवी आपदा के कार्यों हेतु कार्यालय व्यय, स्टेशनरी, लेखन सामग्री व दूरभाष आदि के लिये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन कुल धनराशि रु० 80,000/- (रुपये अस्सी हजार मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03- आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3. इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4- आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5- आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2012 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

(2)

6- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

7- व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(के०के० सिंह)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

४

संख्या -4357(1)/1-10-2011-33(343)/2011, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को यूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।

2-मण्डलायुक्त, मेरठ।

3-वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त।

4- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, मेरठ।

5-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।

6-समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11 राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

7-निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ०प्र० शासन।

8-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)

अनु सचिव।

२